"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2013—माघ 5, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

क्रमांक ई-1-2/2012/एक/2.— श्री एच. पी. किण्डो, भा.प्र.से., (छ.ग. 1997) विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग., रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, कोष एवं लेखा तथा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्रमांक 255/3084/21-ब/छ.ग./2013.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रामलखन यादव, अधिवक्ता, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) के न्यायालय हेतु शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त लोक अभियोजक बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नया रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्रमांक 257/3084/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री रामलखन यादव, अधिवक्ता, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर) के न्यायालय हेतु शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (बैकुण्ठपुर) नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्रमांक/208/एफ-14/14/2007/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 41(1) (च) में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नांकित माननीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकित करती है :—

1. श्री खेदूराम साहू, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र क्र. 76-डोंगरगांव
2. श्री राजू सिंह ठाकुर, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र क्र. 28-तखतपुर
3. श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र क्र. 81-कांकेर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 10-1/2013/16.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियम, 2008 के नियम 251 अनुसार समिति का पुनर्गठन आदेश क्रमांक एफ 10-1/2006/16, दिनांक 13-02-2012 को किया गया था, जिसके बिन्दु क्रमांक (चार) के बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है :—

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

बिन्दु क्रमांक (चार)— शासकीय विभागों के प्रतिनिधि :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग — पदेन सदस्य
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग — पदेन सदस्य

उपरोक्त आदेश दिनांक 13-02-2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 7-31/2012/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 26-09-2012 द्वारा अंबिकापुर विकास योजना, 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख सैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

अंबिकापुर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (एकड़ में) (4)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	गंगापुर खुर्द प. ह. नं. 115	295/1	30.27 एकड़	कृषि	औद्योगिक

2. उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन की औद्योगिक विकास की स्थापना के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अतः राज्य शासन एतद्द्वारा अंबिकापुर विकास योजना 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण अंबिकापुर विकास योजना 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलेक्स पॉल मेनन, उप-सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्रमांक/स्था./173/पंचा.संचा./2012/49.—छत्तीसगढ़ वित्त संहिता जिल्द एक नियम 2(14) में प्रावधान अनुसार पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के लिये आयुक्त-सह-संचालक, पंचायत को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है.

यह सहमति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 740/सी.एन./बजट-1/वित्त/चार 2012/1003505, दिनांक 30-10-2012 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक 2601, दिनांक 12-12-2012 द्वारा प्रदान की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, केपीटल काम्पलेक्स, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2013

क्रमांक 156/2605/12/19/तक-4.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का 8) की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा बी.ओ.टी./डी.बी.एफ.ओ.टी. नमूने के अन्तर्गत विकसित सड़कों या सड़क के भाग पर समापन प्रमाण पत्र में उल्लिखित तारीख से, नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट तथा उक्त सारणी से संलग्न स्पष्टीकरण के अध्यधीन रहते हुए, प्रति फेरा, प्रति यान के आधार पर निम्नानुसार दरों पर पथकर उद्ग्रहीत करने के लिए मंजूरी प्रदान करती है, अर्थात् :—

सारणी

स. क्र. (1)	वाहन के प्रकार (2)	पथकर की दरें प्रति कि.मी. (3)
1.	कार, जीप, वैन एवं मिनी बस	रुपये 0.50
2.	एल.जी.वी. (लाइट गुड्स व्हीकल), बस	रुपये 1.50
3.	ट्रक (2 एक्सल)	रुपये 3.00
4.	हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी (एच.सी.एम) अर्थ मूविंग एक्विपमेंट (ई.एम.ई.) तथा मल्टी-एक्सल व्हीकल (एम.ए.व्ही.) (3 से 6 एक्सल).	रुपये 6.00
5.	ओव्हर साईज व्हीकल (7 या अधिक एक्सल)	रुपये 12.00

स्पष्टीकरण :—

1. (क) "कार", "जीप" तथा "वैन" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 7.5 टन से अधिक न हो.

(ख) "मिनी बस" एवं "एल.जी.व्ही. (लाइट गुड्स वाहन)" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन जिसका सकल यान भार 7.5 टन से अधिक परन्तु 12 टन से अधिक न हो.

(ग) "ट्रक", "बस" एवं "2 एक्सल ट्रक" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 12 टन से अधिक किन्तु 20 टन से अधिक न हो.

(घ) "हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी", "अर्थ मूविंग इक्विपमेंट" तथा "मल्टी-एक्सल व्हीकल (3 से 6 एक्सल)" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 20 टन से अधिक किन्तु 60 टन से अधिक न हो.

(ङ) "ओव्हर साईज्ड व्हीकल (7 या अधिक एक्सल)" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन, जिसका सकल भार 60 टन से अधिक हो.

2. पथकर, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चयनित निजी विकासकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया जायेगा. प्रत्येक पथकर प्लाजा हेतु पथकर की दरें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी.

3. पथकर की दरें, प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाई जाएंगी, जिसको निकटतम एक रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा. दूरी आधारित मूल दरों में प्रथम वृद्धि 01-04-2013 से प्रभावी होगी.

4. उपरोक्त दरें केवल एक बार उपयोग हेतु हैं.

5. राज्य सरकार वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियों को इन सड़कों पर चलने/इन पथकर पुलों/प्लाजा को पार करने के दौरान पथकर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

(क) छत्तीसगढ़ सरकार के समस्त यान तथा वे यान, जो शासकीय कर्तव्य पर हों.
(ख) संसद के सदस्यों तथा विधानसभा के सदस्यों के यान.
(ग) सशस्त्र बल के समस्त यान, जब वे कर्तव्य पर हों.
(घ) एम्बुलेंस.
(ङ) फायर ब्रिगेड.
(च) भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान.
(छ) कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले ट्रैक्टर/ट्रैक्टर ट्रॉली/ट्रॉली युक्त ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां.
(ज) ऑटो रिक्शा, दुपहिया तथा बैलगाड़ियां.
(झ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा उपयोग किये जाने वाले यान.
(ञ) अन्य वाहन, जो कि शासन द्वारा छूट के लिये अधिसूचित किये गये हों.

टीप :— इस प्रकार छूट प्राप्त यान/वैन के चालक को अपना नाम, रैंक तथा कर्तव्य, जिस पर वह संलग्न (नियुक्त) है, की प्रकृति बताना आवश्यक होगा.

No. 156/2605/2012/19/T-4.— In exercise to the powers conferred by section 2 read with section 4 of Indian Toll Act, 1851 (8 of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government hereby approves the following toll rates, as specified in the table below and subject to the explanation appended to the said table, to be levied as toll tax on the basis of per trip per vehicle, on the roads or part of road developed under BOT/ DBFOT pattern, from the date mentioned in completion certificate, namely :—

S. No. (1)	Type of vehicle (2)	Rates of tolls per km (3)
1.	Car, Jeep, Van and Mini bus	Rs. 0.50
2.	L.G.V.(Light Goods vehicles), Bus	Rs. 1.50
3.	Truck (two axle)	Rs. 3.00
4.	Heavy Construction Machinery (HCM), Earth Moving Equipment (EME) and Multi-Axle Vehicle (MAV) - (three to six axles)	Rs. 6.00
5.	Over Size Vehicles (seven or more axles)	Rs. 12.00

Explanation.—

1. (a) "Car", "Jeep" and "Van" means any mechanical vehicle whose gross vehicle weight does not exceed 7.50 Tones.

(b) "Mini Bus" and "LGV (Light Goods Vehicle)" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 7.5 tones but less than 12 tones.

(c) "Truck", "Bus" and "Two axle Truck" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 12 tones but less than 20 tones.

(d) "Heavy Construction Machinery", "Earth Moving Equipment" and "Multi Axle Vehicle (three to six axles)" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 20 tones but less than 60 tones.

(e) "Oversized vehicle (seven or above axles)" means any mechanical vehicle having gross weight exceeding 60 tones.

2. Toll Tax shall be collected by the Private developer selected by the State Government or the Person authorized by him. The toll rates shall be specified for each Toll Plaza by the Government of Chhattisgarh.

3. The toll tax rates shall be increased by 10% every year rounded off to the nearest one rupee. The first increase in distance based basic rates shall be made effective from 01-04-2013.

4. The above rates are for one time use only.

5. The State Government exempts the following categories of vehicles from payment of tolls while plying on such roads/crossing such toll bridges/plaza, namely:—

(a) All Vehicles of Government of Chhattisgarh and the vehicles which are on Government duty.
(b) Vehicles of Members of Parliament and Members of Legislative Assembly.
(c) All vehicles of the armed forces, when on duty.
(d) Ambulance
(e) Fire brigade
(f) Vehicles of Indian Post and Telegraph Department.
(g) Tractor/Tractor trolley/Tractor with trolley and bullock carts used for agricultural purposes.
(h) Auto rickshaws, two wheelers, bullock carts.
(i) Vehicles being used by freedom fighters and recognized journalists.
(j) Other vehicles as notified for exemption by the Government.

Note :— The driver of such exempted Vehicles/Vans shall be required to state his name, rank and the nature of duty on which he is engaged.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. सहगल, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्रमांक एफ-17-106/2009/25-2.—भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2011 प्रवृत्त करते हुए उक्त मूल नियम 12(4) (राहत राशि के लिए मापदण्ड) की अनुसूची उपाबंध-1 को संशोधित किया गया है.

2. अत: उपर्युक्त के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम-1995 के नियम 7 राहत एवं सहायता के अंतर्गत अपराध का नाम एवं राहत की न्यूनतम राशि के विवरणों के स्थान पर निम्नानुसार अनुसूची-1 प्रतिस्थापित करता है :—

अनुसूची-I

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम, 1995 का नियम 7 राहत एवं सहायता

क्रमांक (1)	अपराध का नाम (2)	राहत की न्यूनतम राशि (3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना [अधिनियम धारा 3(1) (i)]	प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए, 60,000/- रुपए या उससे अधिक और पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान, क्षति तथा मानहानि सहने के अनुपात में भी होगा. दिया जाने वाला भुगतान निम्नलिखित होगा :— 1. 25% जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए. 2. 75% जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध ठहराया जाए.
2.	क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना [अधिनियम धारा 3(1) (ii)]	
3.	अनादर सूचक कार्य [अधिनियम धारा 3(1) (iii)]	
4.	सदोष भूमि अभिभोग में लेना या उस पर कृषि करना, आदि [अधिनियम धारा 3(1) (iv)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए कम से कम 60,000/- रुपए या उससे अधिक भूमि/परिसर/जल की आपूर्ति जहां आवश्यक हो, सरकारी खर्च पर पुन: वापस की जाएगी. जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए पूरा भुगतान किया जाए.
5.	भूमि, परिसर या जल से संबंधित [अधिनियम धारा 3(1) (v)]	
6.	बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी [अधिनियम धारा 3(1) (vi)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 60,000/- रुपए, प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.
7.	मतदान के अधिकार के संबंध में [अधिनियम धारा 3(1) (vii)]	प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 50,000/- रुपए तक जो अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर है.
8.	मिथ्या द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही [अधिनियम धारा 3(1) (viii)]	60,000/- रुपए या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की प्रतिपूर्ति या अभियुक्त के विचारण की समाप्ति के पश्चात् जो भी कम हो.
9.	मिथ्या या तुच्छ जानकारी [अधिनियम धारा 3(1) (ix)]	
10.	अपमान, अभित्रास और अवमानना [अधिनियम धारा 3(1) (x)]	अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/- रुपए तक 25 प्रतिशत उस समय जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोषसिद्ध होने पर.
11.	किसी महिला की लज्जा भंग करना [अधिनियम धारा 3(1) (xi)]	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को 1,20,000/- रुपए, चिकित्सा जांच के पश्चात् 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाए और शेष 50 प्रतिशत का विचारण की समाप्ति पर भुगतान किया जाए.
12.	महिला का लैंगिक शोषण [अधिनियम धारा 3(1) (xii)]	

(1)	(2)	(3)
13.	पानी गंदा करना [अधिनियम धारा 3(1) (xiii)]	2,50,000/- रुपए तक जब पानी को गंदा कर दिया जाए तो उसे साफ करने सहित या सामान्य सुविधा को पुन: बहाल करने की पूरी लागत. उस स्तर पर जिस पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाए भुगतान किया जाए.
14.	मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना [अधिनियम धारा 3(1) (xiv)]	2,50,000/- रुपए तक या मार्ग के अधिकार को पुन: बहाल करने की पूरी लागत और जो नुकसान हुआ है, यदि कोई हो, उसका पूरा प्रतिकर. 50 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.
15.	किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना [अधिनियम धारा 3(1) (xv)]	स्थल बहाल करना. ठहराने का अधिकार और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को 60,000/- रुपए का प्रतिकर तथा सरकार के खर्च पर मकान का पुनर्निर्माण, यदि नष्ट किया गया हो. पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय में आरोप-पत्र भेजा जाए.
16.	मिथ्या साक्ष्य देना [अधिनियम धारा 3(2) (i) और (ii)]	कम से कम 2,50,000/- रुपए या उठाए गए नुकसान या हानि का पूरा प्रतिकर. 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.
17.	भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना. [अधिनियम धारा 3(2)]	अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 1,20,000/- रुपए यदि अनुसूची में विशिष्ट. अन्यथा प्रावधान किया हुआ हो तो इस राशि में अन्तर होगा.
18.	किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न [अधिनियम धारा 3(2) (vii)]	उठाई गई हानि या नुकसान का पूरा प्रतिकर. 50 प्रतिशत का भुगतान जब आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब निचले न्यायालय में दोषसिद्ध हो जाए, किया जाएगा.
19.	**नि:शक्तता:—** नि:शक्तता की परिभाषा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा में यथा प्रदत्त होगी और उसके निर्धारण के लिए दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तारीख 01-06-2001 की भारत सरकार अधिसूचना संख्या 154, समय-समय पर यथा संशोधित में अंतर्विष्ट होगी. अधिसूचना की एक प्रति अनुसूची-II पर संलग्न है.	
	(क) 100 प्रतिशत असमर्थता	
	(i) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2,50,000/- रुपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत आरोप-पत्र और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.
	(ii) परिवार का कमाने वाला सदस्य	अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 5,00,000/- रुपए, 50 प्रतिशत प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सा जांच पर भुगतान किया जाए और 25 प्रतिशत जब आरोप-पत्र न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.

(1)	(2)	(3)
	(ख) जहा असमर्थता 100 प्रतिशत से कम है	उपर्युक्त क (i) और (ii) में निर्धारित दरों को उसी अनुपात में कम किया जाएगा, भुगतान के चरण भी वही रहेंगे. तथापि, न कमाने वाले सदस्य को 40,000/- रुपए से कम नहीं और परिवार के कमाने वाले सदस्य को 80,000/- रुपए से कम नहीं होगा.
20.	**हत्या/मृत्यु**	
	(क) परिवार का न कमाने वाला सदस्य	प्रत्येक मामले में कम से कम 2,50,000/- रुपए. 75 प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर.
	(ख) परिवार का कमाने वाला सदस्य	पत्येक मामले में कम से कम 5,00,000/- रुपए. 75 प्रतिशत का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चात् और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर.
21.	हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, गैंग द्वारा किया गया बलात्संग, स्थायी असमर्थता और डकैती का पीड़ित.	उपर्युक्त मदों के अंतर्गत भुगतान की गई राहत की रकम के अतिरिक्त, राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख से तीन माह के भीतर निम्न-लिखित रूप से की जाए :— (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 3,000/- रुपए प्रति मास की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा. (ii) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण-पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जाए. (iii) तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था.
22.	पूर्णतया नष्ट करना/जला हुआ मकान	जहां मकान को जला दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो. वहां सरकारी खर्च पर ईंट पत्थर के मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की जाए.

3. उपर्युक्त संशोधित दर इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू मानी जावेगी.

4. इस स्वीकृति पर छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 332/1002250/वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 07-08-2012 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-8/2008/(6)52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा में भरती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 2012 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक ग्रामोद्योग;
(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति,
(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा,
(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;
(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
(झ) **"अन्य पिछड़ा वर्ग"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26, दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
(ञ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा प्रभाग) तृतीय श्रेणी (लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा;
(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना :—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन :—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्,
(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों,
(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों; और
(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण वेतनमान इत्यादि**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा ।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय—समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका** — (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा अथवा मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा ;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है.

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में, ऐसे पदों को, स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हो, जैसा कि अनुसूची—दोमेंविनिर्दिष्ट किया जायें ।

(2) उप—नियम (1) के खंड (ख) अथवा खंड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में यथा दर्शित प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्टि कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनायी जाने वाली भरती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी ।

(4) उप—नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनकों उक्त उप—नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किया जायेगा, तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि इस प्रयोजन के लिए, एक चयन समिति गठित करें, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधानों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति** — इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें** – प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(एक) आयु:– (क) परीक्षा/चयन के प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों एवं कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण – शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 (छः) मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हों।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा ।

परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण– शब्द **"भूतपूर्व सैनिक"** से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन

कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो :

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर; सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक ;

(चार) ऐसे अधिकारी जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है)

(पांच) अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी ;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ;
(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है ;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनकें द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्ययीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

टीप – (1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त खंड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगें। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बनें रहेंगे ।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेगी, विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी ।

(ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(दो) शैक्षणिक अर्हता – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो कि इसमें संलग्न अनुसूची–तीन के कालम (5) में दर्शायी गई है, परन्तु यह कि–

(क) आपवादिक मामलों में, कनिष्ठ सेवा चयन मंडल/समिति शासन की संस्तुति पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जिसके पास इस खंड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, किन्तु जिसने अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति (चयन समिति) की राय में अभ्यर्थी के परीक्षा/चयन में उपस्थिति के लिए न्यायोचित हो।

(ख) अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह हो, किन्तु जिसने किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो, जो शासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो, कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल/समिति के स्वविवेक से परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा ।

(तीन) फीसः– अभ्यर्थी को समिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता :–** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, मण्डल/समिति द्वारा चयन में उपस्थित होने के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा–** परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी/चयन मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती .– (1) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरतीः–** नियुक्त प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य सम्मिलित होंगे–

(एक) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें ।

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती**— (एक) सेवा में सीधी भरती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर, अवधारित करे।

(दो) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के प्रक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पदों को, आरक्षित रखा जाएगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूचीं में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम में, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षित रखे जाऐंगें।

(7) ऐसे मामलों में जहॉ सीधी भर्ती द्वारा भर जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों की अभ्यर्थियों की अपेक्षित अनुभव के साथ, पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो शेष आरक्षित रिक्तियों को इन अभ्यर्थियों के लिए ही पुनः विज्ञापित किया जाएगा, यदि फिर भी कोई रिक्ति बिना भरी हुई रह जाए तो ऐसी शेष आरक्षित रिक्तियां सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जायेगी तथा पश्चातवर्ती परीक्षा/चयन के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यार्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान आरक्षित रखे जाएंगें :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (अग्रेनीत रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए) किसी भी समय कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(9) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची:–** (1) चयन समिति, उन अभ्यार्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जावे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित उन अभ्यार्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यथियों का नाम शामिल किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसे कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :–** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची–चार के कालम (5) में विनिर्दिष्ट सदस्य सम्मिलित होंगें :

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति गठन के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा ।

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी ।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी ।

14. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्ते:–** विभागीय पदोन्नति समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षो की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों ।

स्पष्टीकरण – पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति – (1) संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेन्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फिडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फिडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा ।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी ।

15. **उपयुक्त अभ्यार्थियों की सूची का तैयार किया जाना**–(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु चयन, मेरिट तथा सभी प्रकार से उपयुक्तता **(ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता)** के आधार पर किया जायेगा।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची के तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कालम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्टता के कम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरणः– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा ।

16. **चयन सूची** :– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लेखित पदों, से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी ।

(2) पदोन्नति के लिये चयन सूची, सामान्यतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पूनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्तिः**– (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियाँ, उसी क्रम में की जायेगी, जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

18. **परिवीक्षा/परीक्षणः**– सेवा में सीधे/पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन :—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण :—** इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—** (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 4 तथा 5 देखिये)

स. क.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान + ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वरिष्ठ निरीक्षक (कार्यकारी)/ सहायक हाथकरघा अधिकारी/ सहायक हस्तशिल्प विकास अधिकारी	06	तृतीय श्रेणी	930 -34800+4300
2.	वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी	04	—तदैव—	9300—34800+4300
3.	निरीक्षक (कार्यकारी)	06	—तदैव—	5200—20200+2800
4.	निरीक्षक तकनीकी	04	—तदैव—	5200 -20200+2800
5.	सहायक निरीक्षक (कार्यकारी)	06	—तदैव—	5200 20200+2200
6.	सहायक निरीक्षक तकनीकी	04	—तदैव—	5200 20200+2200
7	फिल्ड इन्वेस्टीगेटर (हस्तशिल्प)	01	—तदैव—	5200 -20200+2800
8.	कारपेन्टर	01	—तदैव—	5200 -20200+1900
9.	वाहन चालक	01	—तदैव—	5200 -20200+1900
10	सहायक लेखा अधिकारी (कोष एवं लेखा संचालनालय से प्रतिनियुक्ति द्वारा)	01	—तदैव—	9300—34800+4200
11	सहायक अधीक्षक	01	—तदैव—	5200—20200+2800
12	सहायक ग्रेड—I	02	—तदैव—	5200—20200+2800
13	लेखापाल	04	—तदैव—	5200—20200+2400
14	सहायक ग्रेड—II	05	—तदैव—	5200—20200+2400
15	सहायक ग्रेड—III	17	—तदैव—	5200—20200+1900
16	शीघ्र लेखक—II	01	—तदैव—	9300—34800+4300
17.	शीघ्र लेखक—III	02	—तदैव—	5200—20200+2800
18	स्टेनो टायपिस्ट	01	—तदैव—	5200—20200+1900
19	डाटा एण्ट्री आपरेटर	04	—तदैव—	5200—20200+2400

अनुसूची–दो
(नियम 6 (2) देखिये)

विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भरती द्वारा नियम 6 (क) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (ख) देखिये)	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा (नियम 6 (2) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा प्रभाग), छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा) तृतीय श्रेणी (लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा					
	वरिष्ठ निरीक्षक (कार्यकारी)/ सहायक हाथकरघा अधिकारी/ सहायक हस्तशिल्प विकास अधिकारी	06	—	100	..	..
	वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी	04	—	100		
	निरीक्षक (कार्यकारी)	06	50	50		
	निरीक्षक तकनीकी	04	50	50		
	सहायक निरीक्षक (कार्यकारी)	06	100	—	..	..
	सहायक निरीक्षक तकनीकी	04	100	—	..	..
	फिल्ड इन्वेस्टीगेटर (हस्तशिल्प)	01	100	—	..	..
	बढ़ई (कारपेन्टर)	01	100	—	..	..
	वाहन चालक	01	100	—	..	..
	सहायक लेखा अधिकारी	01	—	—	—	कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति द्वारा
	सहायक अधीक्षक	01	—	100	—	..
	सहायक ग्रेड–I	02	—	100		..
	लेखापाल	04	—	100		..
	सहायक ग्रेड–II	05	—	100		..
	सहायक ग्रेड–III	17	75	25		चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति द्वारा
	स्टेनो टायपिस्ट	01	100	—		..
	शीघ्र लेखक–II	01	—	100		..
	शीघ्र लेखक–III	02	50	50		..
	डाटा इन्ट्री आपरेटर	04	100	—		

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	तकनीकी अर्हता एवं अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा प्रभाग) छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा), तृतीय श्रेणी (लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा				
	निरीक्षक (कार्यकारी)	18	30 (छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	—
	निरीक्षक तकनीकी	18	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र उत्तीर्ण	टेक्सटाईल/बुनाई/हेण्डलूम टेक्नॉलॉजी में 3 वर्षीय डिप्लोमा
	सहायक निरीक्षक (कार्यकारी)	18	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि	—
	सहायक निरीक्षक तकनीकी	18	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र उत्तीर्ण	टेक्सटाईल/बुनाई हेन्डलूम में 03 वर्षीय डिप्लोमा
	फिल्ड इन्वेस्टीगेटर (हस्तशिल्प)	18	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक उपाधि	सांख्यिकी कार्य में अधिकतम 03 वर्ष का अनुभव
	बढ़ई (कारपेंटर)	18	–तदैव–	1. माध्यमिक शाला परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समतुल्य अर्हता होनी चाहिए। 2. आई.टी.आई. में कारपेंटर ट्रेड में प्रमाण पत्र होना चाहिए।	हाथकरघा उपकरण का निर्माण तथा उसकी मरम्मत करने के लिए बढ़ईगिरी में अधिकतम 02 वर्ष का अनुभव
	वाहन चालक	18	–तदैव–	8 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।	1. अभ्यर्थी जो भारी/हल्के वाहन का ड्रायविंग लाईसेंस रखता हो. 2. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, छत्तीसगढ़ी भाषा अथवा स्थानीय भाषा का पर्याप्त ज्ञान ।

	शीघ्रलेखक – III	18	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक या (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/ संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद से :– (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण। (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिश्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में टाईप लेखन का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए तथा डाटा एंट्री में 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति होना चाहिए ।	
	स्टेनो टायपिस्ट		–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/विश्वविद्यालय से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ कम्प्यूटर हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति, तथा (3) किसी मांन्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर /प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिए तथा डाटा एंट्री का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।	

	सहायक ग्रेड – III		–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाणपत्र होना चाहिए, तथा (3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए ।	
	डाटा इन्ट्री आपरेटर		–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए। अथवा बोर्ड से कक्षा 10 वीं एवं (10+2) परीक्षा एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर /प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री का हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।	

अनुसूची–चार
(नियम 14 (1) देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छ.ग. ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा प्रभाग)	ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा) तृतीय श्रेणी (लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा			
1.	निरीक्षक (कार्यकारी)	वरिष्ठ निरीक्षक (कार्यकारी)/सहायक हाथकरधा विकास अधिकारी /सहायक हस्तशिल्प विकास अधिकारी	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक –अध्यक्ष 2. उप संचालक –सदस्य 3. उप संचालक (स्थापना शाखा का भारसाधक) –सदस्य
2.	निरीक्षक तकनीकी	वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी	5 वर्ष	
3.	सहायक निरीक्षक (कार्यकारी)	निरीक्षक (कार्यकारी)	5 वर्ष	
4.	सहायक निरीक्षक तकनीकी	निरीक्षक तकनीकी	5 वर्ष	
5.	सहायक ग्रेड–I	सहायक अधीक्षक	5 वर्ष	
6.	सहायक ग्रेड–II / लेखापाल	सहायक ग्रेड–I	5 वर्ष	
7.	सहायक ग्रेड–III (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण)	लेखापाल	5 वर्ष	
8.	सहायक ग्रेड– III	सहायक ग्रेड– II	5 वर्ष	
9.	शीघ्र लेखक ग्रेड– III	शीघ्रलेखक ग्रेड–II	5 वर्ष	
10.	स्टेनो टाईपिस्ट	शीघ्र लेखक ग्रेड– III	5 वर्ष	
11.	चतुर्थ श्रेणी	सहायक ग्रेड–III	कर्मचारी जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा चतुर्थ श्रेणी पद पर नियमित 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों.	

टीप :— 1. लेखापाल पद की पदोन्नति हेतु लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी को लेखापाल के पद पर पदोन्नति दी जायेगी, परन्तु उन्हें पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें पदावनत किया जा सकेगा।

2. सहायक अधीक्षक एवं सहायक ग्रेड-1 के पद पर पदोन्नति के लिए लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर्मचारियों को वरीयता दी जायेगी।

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-8/2008/(6)52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की **अधिसूचना** क्रमांक एफ 1-8/2008/(6)52 दिनांक 14-12-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

Raipur, the 14th December 2012

No. F-1-8/2008/(6) 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Directorate of Rural Industries (Handloom) Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Chhattisgarh Directorate of Rural Industries (Handloom) Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director of Rural Industries;
   (b) "Committee" means the Selection Committee approved by the Government;
   (c) "Examination" means competitive examination held for recruitment to the service under rule 11 of these rules;
   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (f) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
   (i) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government, vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
   (j) "Service" means the Chhattisgarh Directorate of Rural Industries (Handloom) Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service;
   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**— Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of this service.

4. **Constitution of the Service.**— The service shall consist of the following persons, namely :—
   (1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding in officiating capacity or substantively the posts specified in Schedule I;
   (2) Persons, recruited to the Service before the commencement of these rules; and
   (3) Persons, recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of pay, etc.** – The classification of the service, the number of post included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I:

Provided that, the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**- (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) By direct recruitment on the basis of competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion of the members of the services as specified in column (2) of Schedule-IV;

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity, such posts, in such service as specified in Schedule-II.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule- I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with the prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribed.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment on the merit basis, the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however it will be mandatory for Appointing Authority to constitute a Selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the direction issued by the General Administration Department from time to time shall also be applicable.

7. **Appointment in the Service.**- All appointments in the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility of direct recruitment.** – In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) Age- (a) A candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not have attained the age specified in column (4) of said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection;

(b) The upper age limit shall be relaxable up to maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 (ten) years to a women candidate, as per provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the condition specified below:-

(i) A candidate, who is permanent/temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a post temporary and applying for another posts should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum of 7 (seven) years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more then 3 (three) years.

Explanation - The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than 6 (six) months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(e) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation - The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 (three) years before the date of his registration at any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service :-

(i) Ex-Serviceman released under mustering out concession;
(ii) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on -
  (a) Completion of short term engagement;
  (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
(iv) Officers discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);
(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
(vi) Ex-Serviceman invalidated out of service;
(vii) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(viii) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 2 (two) years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(h) The general upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 5 (five) years in respect of the Shaheed Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Pravirchand Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder Young Candidates.

(i) The upper age limit shall be relexable up to a maximum of 38 years of age in respect of the candidates, who are employees of Chhattisgarh State Corporation/Boards.

(j) The general upper age limit shall also be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard Service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 (thirty eight) years.

Note- **(1)** Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d), above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. There will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case, these age limit be relaxed, departmental candidates must obtain permission of their Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(k) In addition to above, regarding age limit, orders issued by General Administration Department from time to time shall be effective.

Explanation - The term "retrenched government servant" denotes a person who was in temporary government service of this state or of any of the constituent unit for a continuous period of not less than six month and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service;

(II) Educational qualification – He must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in column (5) of Schedule III provided that:-

(a) In exceptional cases, the Junior Service Selection Board/Committee may, on the recommendation of the Government treat as qualified a candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed the examination conducted by other Universities/Institutions by such a standard due to which, the opinion of the (select committee) committee justified the consideration the candidate for appearing in the examination/selection and

(b) Candidates, who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign universities being universities not specifically recognized by the Government, may also be admitted to the examination at the discretion of the Junior Service Selection Board/Committee.

(III) Fees - The candidate must pay the fees prescribed by the Committee/Appointing Authority.

9. **Disqualifications.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Board/Committee to be disqualification for his selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.**-The decision of the Appointing Authority/Selection Board as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in examination/selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority, shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by competitive examination/selection.** - (1) **Direct recruitment by competitive examination-** Appointing Authority shall constitute a Selection Committee consisting of three members-

(i) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) **Direct recruitment by Selection-** (i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, from time to time, determine;

(ii) The selection of candidates for the service shall be made by the Selection Committee;

(iii)The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be under sub rule (3)..

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent post shall be reserved for women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential conditions for the posts to be filled by direct recruitment and in the opinion of the Appointing Authority, it is found that the sufficient number of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, with the requisite experience, is not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) If, sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice exclusively for these candidates, if even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be during the subsequent Examination/ Selection:

Provided that the total number of vacancies, reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed 50 percent of the total vacancies advertised.

(9) Reservation for the disabled candidates shall be applicable as per the directions issued by the General Administration Department from time to time.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.-** (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for the appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion.** - (1) There shall be constituted a Departmental Promotion Committee, consisting of the members specified in column (5) of Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Sewa (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) shall also be adhered to.

(2) The Departmental Promotion Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Lok Sewa (Padonnati) Niyam, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with the instructions issued by the Government of Chhattisgarh, General Administration Department from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion.-**(1) The Departmental Promotion Committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of the service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Method of computation for eligibility for promotion - The calculation of period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Lok Sewa (Padonnati) Niyam, 2003.
(3) Promotion shall be made as per reservation roster prescribed by the Government.

15. **Preparation of list of suitable Candidates.** - (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of Select list. A reserve list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability (seniority subject to fitness) in all respects.
(3) The names of employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of select list as per Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rule, 1961.

Explanation —The person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Select list.** – (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the member of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in column (3) of Schedule IV.
(2) The select list for promotion shall be ordinarily valid for 31st December of the calendar year from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of select list may be made at the instance of Appointing Authority and he may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.-** (1) Appointment of the persons included in the select list shall be made to the posts borne on the cadre in the order in which their names appear in the list in accordance with the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation/ Observation.** – Every person recruited directly or by promotion to the service shall be appointed on probation/ observation for a period of two years.

19. **Interpretation.** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.** – Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner, as may appear to it to be just and proper:

Provided that, the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and saving.** – All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that, any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Deputy Secretary.

SCHEDULE – I
(See rule 4 and 5)

S. No.	Name of the post included in the service	Total Number of posts	Classification	Pay Scale+Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Senior Inspector (Executive) /Assistant Handloom Officer / Assistant Handicraft Development Officer	06	Class III	9300-34800 +4300
2.	Senior Inspector Technical	04	--do--	9300-34800 +4300
3.	Inspector (Executive)	06	----do----	5200-20200 +2800
4.	Inspector Technical	04	....do....	5200-20200 +2800
5.	Assistant Inspector (Executive)	06	....do....	5200-20200 +2200
6.	Assistant Inspector Technical	04	....do....	5200-20200 +2200
7.	Field Investigator (Handicraft)	01	...do...	5200-20200 +2800
8.	Carpenter	01	...do....	5200-20200 +1900
9.	Driver	01	...do....	5200-20200 +1900
10.	Assistant Accounts Officer(by deputation of the Directorate Treasury and Account)	01	...do...	9300-34800 +4200
11.	Assistant Superintendent	01	....do....	5200-20200 +2800
12.	Assistant Grade - I	02	--do--	5200-20200 +2800
13.	Accountant	04	----do----	5200-20200 +2400
14.	Assistant Grade – II	05	....do....	5200-20200 +2400
15.	Assistant Grade – III	17	....do....	5200-20200 +1900
16.	Stenographer – II	01	....do....	9300-34800 +4300
17.	Stenographer – III	02	...do...	5200-20200 +2800
18.	Steno Typist	01	...do....	5200-20200 +1900
19.	Data Entry Operator	04	...do....	5200-20200 +2400

SCHEDULE – II
[See rule 6(2)]

Name of Department	Name of Service/Post	Total Number of Posts	Percentage of the number of posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [See Rule 6(a)]	By promotion of members of the services [See Rule 6(b)]	By temporary transfer of person from other service [See Rule 6(2)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
The Directorate of Rural Industries (Handloom Section), Chhattisgarh	The Directorate of Rural Industries (Handloom), Chhattisgarh Class - III (Ministerial and Non-Ministerial) Service,					
	Senior Inspector (Executive)/ Assistant Handloom Officer/ Assistant Handicraft Development Officer	06	--	100	--	
	Senior Inspector Technical	04	--	100	--	
	Inspector (Executive)	06	50	50	--	
	Inspector Technical	04	50	50	--	
	Assistant Inspector (Executive)	06	100	---	--	
	Assistant Inspector Technical	04	100	---	--	
	Field Investigator (Handicraft)	01	100	---	--	
	Carpenter	01	100	---	--	
	Driver	01	100			
	Assistant Accounts Officer	01	--	---	--	On Deputation from Treasury and Accounts
	Assistant Superintendent	01	--	100	--	--
	Assistant Grade - I	02	-	100	--	--
	Accountant	04	--	100	--	--
	Assistant Grade – II	05	--	100	--	--
	Assistant Grade – III	17	75	25	--	By Promotion from Class-IV
	Steno Typist	01	100	--	--	--
	Stenographer – II	01	--	100	--	--
	Stenographer – III	02	50	50	--	--
	Data Entry Operator	04	100	---	--	--

SCHEDULE – III

(See Rule–8)

Name of Department	Name of Service/ Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification	Technical Qualification and experience
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
The Directorate of Rural Industries (Handloom Section), Chhattisgarh	The Chhattisgarh Directorate of Rural Industries (Handloom), Class - III (Ministerial & Non-Ministerial) Service,				
	Inspector (Executive)	18	30 (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	Bachelor Degree from any recognized University	-
	Inspector Technical	18	..do	Passed Certificate of Higher Secondary Examination from any recognized Board/ High School Examination under the 10+2 Pattern.	3 years diploma in Textile/ Weaving/ Handloom Technology
	Assistant Inspector (Executive)	18	..do..	Bachelor Degree from any recognized University	
	Assistant Inspector Technical	18	..do..	Passed Certificate of Higher Secondary Examination from any recognized Board/ High School Examination under the 10+2 Pattern.	3 years Diploma in Textile/ Weaving/ Handloom Technology
	Field Investigator (Handicraft)	18	..do..	Bachelor Degree with statistics subject from any recognized University	Minimum 3 year experience of statistics work
	Carpenter	18	..do..	1.Should have passed Middle School Examination or equivalent qualification. 2.Should have a certificate in Carpentry trade from ITI.	Minimum 2 year experience in carpentry of manufacturing/ repairing of Handloom Equipments.
	Driver	18	..do..	Should have passed 8th class examination.	1. Candidate having Driving license of heavy / light vehicles 2. Candidate should be domicile of Chhattisgarh State having sufficient knowledge of Chhattisgarhi language or Local languages.

	Stenographer - III	18	...do...	1. Should have passed Higher Secondary School Certificate Examination or 10+2 recognized Board or passed 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/University. 2. From any recognized Board/ Institution or Shorthand and Typing Council:- (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer. (b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer. (c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer. 3. Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and should have speed of 10,000 key depressions per hour in data entry.	
	Steno Typist	18	...do...	1. Should have passed Higher Secondary School Certificate Examination or (10+2) recognized Board or passed 1st year examination of Graduation Course from any recognized University. 2.Should have passed Computer Hindi Typing examination with speed of 25 words per minute alongwith speed of 60 words per minute in Hindi Stenography from any recognized Board/ Institute. 3.Should have one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of 5,000 key depression per hour in data entry.	

	Assistant Grade - III	18	...do...	1. Should have passed (10+2) examination from any recognized Board. 2. Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute; and 3. Should have speed of 5000 key depression per hour in Hindi computer typing.	
	Data Entry Operator	18	...do..	1. Should have passed Higher Secondary Examination (10+2) from any recognized Board or class 10th (10+2) Passed from Board and three years Diploma in any subject. 2. Should have one year Diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry in Hindi and English in Computer 8000 (key) depression per hour.	

SCHEDULE – IV

(See rule 14 (1))

Name of Department	Name of the Service or post from which promotion is to be made	Name of the service or post to which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for post.	Name of Members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
C.G. Director of Rural Industries (Handloom Section)	Directorate of Rural Industries (Handloom) Class - III (Ministerial and Non-Ministerial) Service,			
	1.Inspector (Executive)	Senior Inspector (Executive)/ Assistant Handloom Development Officer/ Assistant Handicraft Development Officer.	05 years	1. Joint Director – Chairman 10.Deputy Director – Member 11.Deputy Director (Office-In-harge of Establishment) - Member
	2.Inspector Technical	Senior Inspector Technical	05 years	
	3.Assistant Inspector (Executive)	Inspector (Executive)	05 years	
	4.Assistant Inspector Technical	Inspector Technical	05 years	
	5.Assistant Grade – I	Assistant Superintendent	05 years	
	6.Assistant Grade – II /Accountant	Assistant Grade – I	05 years	
	7.Assistant Grade – III (Account training pass)	Accountant	05 years	
	8.Assistant Grade – III	Assistant Grade – II		
	9.Stenographer Grade III	Stenographer Grade-II	05 years	
	10.Steno Typist	Stenographer Grade-III	05 years	
	11.Class-IV	Assistant Grade – III	Employees, who are passed Higher Secondary Examination and completed 05 year services regularly on the post of Class-IV.	

Note:- 1.. For the promotion of the post of Accountant, candidate who are passed Account training shall not be available then Candidate working on the post of Assistant Grade-III shall be promoted on the post of Accountant, provided that, they must be passed Account training within 2 years from the date of promotion otherwise may be demoted.

2. Promotion on the post of Assistant Superintendent and Assistant Grade-I, preference shall be given to employees, who are passed Account Training.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर अटेंडेंट परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़

जी. ई. रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट्स परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की सूचना

क्रमांक मुनिवा/ए-13/7081/2012.—द्वितीय श्रेणी बायलर अटेंडेंट हेतु परीक्षा 26 से 28 दिसंबर-2012 को आयोजित की गई थी. अपरिहार्य कारणवश अब यह परीक्षा दिनांक 15 जनवरी 2013 से 17 जनवरी 2013 तक आयोजित की जावेगी. परीक्षा हेतु समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर ठीक पाये गये आवेदनपत्रों को परीक्षा हेतु शामिल कर आवेदकों को प्रवेश-पत्र जारी किये जा रहे हैं. परीक्षा में शामिल किये गये आवेदकों की रोल नम्बर सहित सूची दिनांक 08-01-2013 को कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़, जी. ई. रोड, आमापारा, रायपुर के सूचना पटल तथा परीक्षा स्थल (मेसर्स-गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, सिलतरा, फेज-1, रायपुर) के गेट पर लगाई जावेगी. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया एवं उनकी सूची भी दिनांक 08-01-2013 को लगाई जावेगी.

परीक्षा का कार्यक्रम निम्नानुसार है :—

परीक्षा स्थल	परीक्षा का दिनांक	परीक्षा का समय	रोल नम्बर
मेसर्स-गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, सिलतरा, फेज-1, रायपुर.	15-01-2013	सुबह 08=00 बजे से दोपहर 12=00 बजे	01 से 100
		दोपहर 02=00 बजे से सायं 06=00 बजे	101 से 200
	16-01-2013	सुबह 08=00 बजे से दोपहर 12=00 बजे	201 से 300
		दोपहर 02=00 बजे से सायं 06=00 बजे	301 से 400
	17-01-2013	सुबह 08=00 बजे से दोपहर 12=00 बजे	401 से अंतिम रोल नंबर

नोट :—

(1) जिन परीक्षार्थियों को किसी कारणवश प्रवेश-पत्र प्राप्त न हुआ हो तो वे परीक्षार्थी रोल नम्बर के अनुसार परीक्षा स्थल पर निर्धारित दिनांक को समय के आधा घंटा पूर्व समस्त मूल प्रमाणपत्रों सहित पहुचें. उन्हें परीक्षा में प्रवेश दिया जावेगा.

(2) परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित है. अतः मोबाइल फोन परीक्षा स्थल पर न लावे.

(3) परीक्षार्थियों द्वारा जिन प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां संलग्न की है उनकी मूल प्रति जांच हेतु लावे अन्यथा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा.

(4) दिनांक 12 फरवरी 2013 से 14 फरवरी 2013 को आयोजित प्रथम श्रेणी बायलर अटेंडेंट परीक्षा के उम्मीदवारों की सूची अलग से जारी की जावेगी.

एस. सी. झा,
मुख्य निरीक्षक एवं अध्यक्ष.

संचालनालय कृषि, छ.ग., रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2012-13/167.—मैं मनोहर पाण्डे, गन्ना आयुक्त, छ.ग., रायपुर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित कवर्धा, जिला कबीरधाम के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार क्रय केन्द्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2012-13 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार क्रय केन्द्र पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र. (1)	क्रय केन्द्र का नाम (2)	विकासखंड का नाम (3)	ग्रामों की संख्या (4)	गन्ना क्षेत्र (हे. में) (5)
1.	कारखाना द्वार राम्हेपुर	कवर्धा	134	5203.90
		बोड़ला	63	4140.10
		पण्डरिया	139	4735.75
		सहसपुर लोहारा	19	87.58
		योग	**355**	**14167.33**

मनोहर पाण्डे,
गन्ना आयुक्त.

BHORAMDEO SAHAKARI SHANKAR UTPADAK KARKHANA MRY. KAWARDHA

Season 2012-2013 Kawardha

Villagewise Plantation Summary (All)

Sr. No. (1)	Village Code Village Name (2)	No. of Farmers Block Name (3)	Plots Kwardha (4)	Plantation Area (5)
1.	11002 Khadaudakhurd	182	437	489.47
2.	11003 Khamhi	37	68	135.35
3.	11004 Khairipar	60	219	151.34
4.	11005 Bodhaikunda	163	572	392.18
5.	11006 Madanpur	66	138	146.72
6.	11007 Paraswara	49	80	113.84
7.	11008 Navghata	92	120	171.74
8.	11009 Gangpur	89	149	235.65
9.	11010 Bijai	68	152	168.29
10.	11011 Sonbarsa	17	28	49.75
11.	11012 Dharampura	31	36	69.24
12.	11013 Birkona	49	77	121.97
13.	11014 Khapari	6	10	20.90
14.	11015 Indori	24	30	69.82
15.	11016 Manikchori	14	18	30.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	11017 Lalpur	121	219	281.60
17.	11018 Lakhanpur	237	392	487.37
18.	11019 Surajpura	94	200	195.31
19.	11020 Ramhepurkhurd	148	428	453.25
20.	11021 Singhanpuri	17	27	39.61
21.	11024 Kanabhaira	129	254	272.48
22.	11026 Dubha	32	36	33.90
23.	11027 Chardongari	130	209	258.31
24.	11028 Madmada	3	6	7.50
25.	11031 Marka	5	7	20.50
26.	11032 Pipariya	17	24	29.81
27.	11034 Sukhatal	305	1118	801.57
28.	11036 Naudih	70	314	283.90
29.	11037 Ghuksa	63	143	193.95
30.	11038 Barbaspur	48	80	90.85
31.	11039 Dullapur Rani	6	9	15.60
32.	11040 Paliguda	65	118	200.37
33.	11041 Amlideeh	10	16	21.75
34.	11043 Ghorevara	35	62	95.40
35.	11044 Dhaurabandha	10	11	23.32
36.	11045 Bitkuli	1	1	4.00
37.	11048 Ghugharikala	33	41	55.43
38.	11051 Gadahabhata	8	10	15.00
39.	11052 Joratal	9	17	20.86
40.	11054 Thuhadeeh	6	7	10.66
41.	11056 Dullapur Raveli	25	36	50.68
42.	11058 Raveli	61	102	118.06
43.	11060 Talpur	2	6	9.62
44.	11061 Jamuniya	25	33	57.50
45.	11063 Barduli	17	17	25.82
46.	11064 Gegada	1	5	12.00
47.	11066 Koko	51	72	134.79
48.	11067 Jhironi	27	40	61.36
49.	11073 Paneka	3	3	10.00
50.	11074 Sarangpurkhurd	44	82	79.71
51.	11075 Limo	2	2	2.00
52.	11076 Bhimpuri	5	5	7.05
53.	11077 Chhanta	49	116	175.30
54.	11078 Bardi	81	129	181.15
55.	11079 Manpur	14	14	22.23
56.	11080 Gorakhpur	12	23	29.50
57.	11081 Semo	55	68	113.35
58.	11082 Ghotiya	1	3	5.00
59.	11083 Bhelwabhawar	35	49	81.37
60.	11084 Kosmanda	8	21	42.35
61.	11085 Anchhi	62	91	164.86
62.	11086 Banjhimauha	39	66	106.12
63.	11087 Baiji	10	10	18.50

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
64.	11088 Raghunathpur	11	18	24.30
65.	11089 Jhirna	9	12	18.90
66.	11090 Biptara	5	6	9.50
67.	11097 Baijalpur	17	26	41.00
68.	11100 Baturakachhar	127	292	300.25
69.	11101 Bijajhori	22	49	54.66
70.	11102 Biranpur	1	1	2.00
71.	11105 Chachedi	5	5	12.75
72.	11106 Charbhatha	9	14	21.00
73.	11107 Dabarabhath	37	62	73.83
74.	11108 Dalpurwakwd	28	36	75.50
75.	11109 Dargawa	21	43	72.00
76.	11110 Dasharangpur	77	299	242.15
77.	11112 Daujari	171	622	458.44
78.	11113 Daukabhandha	39	49	79.62
79.	11114 Dewari	1	1	1.50
80.	11115 Dhamaki	9	11	11.75
81.	11118 Gangchuwa	1	1	1.50
82.	11119 Ghirghosa	33	39	66.90
83.	11120 Gopalbhawana	61	98	177.50
84.	11123 Hirapur	2	2	5.50
85.	11125 Jarti	181	717	504.97
86.	11126 Jhalka	3	6	6.50
87.	11127 Jhalmala	61	90	203.47
88.	11128 Jinda	7	9	24.00
89.	11129 Jogipur	6	10	39.00
90.	11130 Junwani	2	2	3.00
91.	11131 Kesali	29	34	56.30
92.	11133 Khairjhitikala	26	33	67.40
93.	11135 Khairwar	4	6	11.00
94.	11137 Khutu	1	1	3.00
95.	11138 Kodar	4	4	5.88
96.	11139 Kritbandha	1	1	2.00
97.	11140 Kothar	74	108	139.40
98.	11141 Koylarikala	8	9	35.95
99.	11144 Kutkipara	9	10	10.45
100.	11146 Laghan	34	41	78.85
101.	11147 Litipur	2	2	6.00
102.	11149 Magardah	1	1	1.00
103.	11152 Majgaon	2	3	4.00
104.	11153 Makke	54	76	142.26
105.	11155 Mathanikala	18	18	48.00
106.	11156 Mathanikhurd	2	2	8.00
107.	11157 Mohgaon	72	139	240.13
108.	11158 Bhedli	13	14	18.25
109.	11161 Nawagaon Farid	7	14	23.56
110.	11162 Nawagaon Koliha	30	33	49.35

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
111.	11166 Newariguda 1	60	134	199.45
112.	11167 Pandariya Kwdblock	48	62	122.50
113.	11168 Patharra	11	22	65.20
114.	11170 Samanapur	2	7	11.00
115.	11172 Singhanpurigangchuv	2	5	7.00
116.	11173 Singhanpurijarti	32	115	97.61
117.	11174 Singhanpuri Ramhepur	74	245	208.98
118.	11175 Singhanpuri Semo	8	9	29.00
119.	11178 Sonpuri (Rani)	14	17	29.00
120.	11179 Thakuraintola	5	8	8.00
121.	11185 Dehari	75	118	214.12
122.	11186 Kodwa	55	161	126.69
123.	11188 Bandora	3	5	10.40
124.	11191 Newari	22	34	38.64
125.	11192 Lasatola	5	6	10.50
126.	11193 Pendra	2	2	6.00
127.	11194 Jewdankhurd	71	154	294.81
128.	11195 Bano	36	51	74.29
129.	11197 Chhirha	4	4	12.20
130.	11198 Ghughri Khurd	4	4	4.50
131.	11200 Thunupar	2	4	10.00
132.	11201 Khairjhitikhurd	24	38	47.46
133.	11202 Dullapur Pipariya	22	38	84.75
134.	11203 Fandatod	13	13	28.00
	Block Total	**5109**	**11201**	**13009.75**

Block Name : Bodla

1.	12001 Sarangpurkala	217	483	671.69
2.	12002 Lohjhari	93	208	247.77
3.	12003 Gandaikhurd	111	213	283.42
4.	12004 Kareshara	72	201	221.03
5.	12005 Gandaikala	156	304	373.50
6.	12006 Kusumghata	192	483	484.64
7.	12007 Khadaudakala	109	237	212.16
8.	12008 Kharhatta	100	233	278.95
9.	12009 Bhareli	134	316	416.96
10.	12010 Rahangi	102	186	221.61
11.	12011 Lenjakhar	139	181	294.51
12.	12012 Mandlatola	58	83	149.30
13.	12013 Pondi	46	93	104.61
14.	12014 Taregaonmaidan	68	90	155.97
15.	12015 Neurgaonkala	52	54	83.67
16.	12016 Neurgaonkhurd	224	253	417.01
17.	12017 Tilaibhanta	36	65	90.64
18.	12018 Khandsara	132	208	292.06
19.	12019 Madmada	92	149	206.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	12020 Baiharsari	425	857	965.69
21.	12021 Ghonga	1	1	2.00
22.	12022 Boirkachara	46	117	156.23
23.	12023 Ramhepur	100	183	217.32
24.	12024 Uslapur	109	305	378.28
25.	12025 Budhwara	36	71	79.89
26.	12026 Harinchhapara	84	144	171.42
27.	12027 Silhati	238	528	483.24
28.	12028 Parsaha	51	100	132.52
29.	12030 Khursipar	34	42	66.97
30.	12031 Sukuapara	9	10	20.07
31.	12032 Mariyatola	113	189	398.81
32.	12033 Manikpur	239	536	458.02
33.	12034 Prabhatola	66	141	164.61
34.	12035 Khantipara	8	8	8.20
35.	12036 Bhalpahari	10	11	15.00
36.	12037 Achanakpur	20	30	44.51
37.	12041 Khurmunda	3	3	5.75
38.	12043 Minminiya	6	18	27.50
39.	12044 Sirmi	17	21	29.32
40.	12045 Riwapar	59	100	91.71
41.	12047 Ragupara	8	13	16.75
42.	12048 Chandalpur	22	31	38.33
43.	12050 Mudiyapara	18	20	35.46
44.	12051 Baddo	30	69	74.44
45.	12052 Kabratola	107	151	224.64
46.	12053 Lalpurbodla	3	3	8.00
47.	12055 Lakhanpurkhurd	25	49	115.07
48.	12056 Chanta	10	15	20.65
49.	12057 Bagharra	145	407	303.25
50.	12059 Bisanpura	18	24	24.75
51.	12061 Bhaluchua	11	24	26.12
52.	12062 Bodla	24	29	44.85
53.	12063 Boldakala	9	10	17.00
54.	12065 Mahli	55	93	152.40
55.	12066 Jaitatola	2	3	2.50
56.	12068 Baijalpur	23	23	47.75
57.	12072 Motimpur	8	11	13.10
58.	12075 Amlitola	9	9	14.20
59.	12084 Amlideeh	4	5	3.50
60.	12087 Ponditola	8	20	20.28
61.	12088 Khadaudakhurd	2	5	9.50
62.	12101 Maharajpur	2	2	2.00
63.	12102 Sewaikachhar	7	9	13.00
	Block Total	**4357**	**8480**	**10350.25**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Block Name : Pandariya				
1.	13001 Pandatarai	67	98	179.66
2.	13002 Pandariya	15	27	39.89
3.	13003 Visesra	44	104	112.00
4.	13005 Bodtrakhurd	28	69	74.35
5.	13006 Rapa	18	19	31.90
6.	13007 Paraswara	128	330	356.44
7.	13008 Rauha	52	140	133.32
8.	13009 Khairwarkala	42	67	70.14
9.	13010 Nawagaon Kala	17	71	144.00
10.	13011 Jangalpur	141	498	415.47
11.	13012 Andhiyarkhor	93	258	309.74
12.	13013 Raitapara	147	413	337.12
13.	13014 Mohgaon	141	367	347.60
14.	13015 Palansri	296	887	816.69
15.	13016 Ruse	318	914	609.35
16.	13017 Bhagatpur	67	265	212.98
17.	13018 Nawagaon Gajri	25	28	46.37
18.	13019 Bharewaparan	3	5	7.00
19.	13020 Bhattruse	20	40	66.12
20.	13021 Makri	40	112	192.02
21.	13022 Kunda	48	110	119.70
22.	13023 Pendrikala	41	111	154.45
23.	13024 Pratappur	30	61	92.77
24.	13025 Saraipatera	63	117	147.51
25.	13026 Hattanawagaon	3	3	4.00
26.	13027 Dasharangpur	95	150	172.72
27.	13028 Charbhatakala	60	116	118.38
28.	13029 Putkikala	49	96	132.77
29.	13030 Manjholi	75	165	144.76
30.	13031 Dhobghatti	49	103	100.05
31.	13032 Baghamuda	13	18	17.82
32.	13033 Sawatpur	7	13	13.00
33.	13034 Dalpi	3	3	3.00
34.	13035 Kubhakhurd	22	70	67.89
35.	13036 Dongariyakala	212	424	584.80
36.	13037 Nawapara Pandatari	102	226	275.36
37.	13038 Mohtarakhurd	17	27	33.35
38.	13039 Rohra	15	20	28.07
39.	13040 Keslikhurd	15	26	27.02
40.	13041 Kanjheti	20	51	72.09
41.	13042 Kuwamalgi	35	49	54.34
42.	13043 Bandha	11	16	24.00
43.	13044 Pusera	2	4	4.50
44.	13045 Rengaboard	3	4	7.50
45.	13046 Pathrri	22	40	43.11
46.	13047 Kumhi	113	208	284.68
47.	13048 Dhaneli	67	136	157.39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48.	13049 Mahka	10	15	20.10
49.	13050 Laduva	4	7	7.70
50.	13051 Basani	27	54	92.51
51.	13052 Mohtarakala	123	359	321.95
52.	13053 Karimati	103	302	241.06
53.	13054 Mahli	20	30	38.40
54.	13055 Pawni	9	15	25.06
55.	13057 Piparmati	49	136	116.93
56.	13058 Devgadiha	2	2	3.25
57.	13059 Lalpurpnd	23	49	57.36
58.	13060 Bhaisbod	3	8	8.90
59.	13061 Lokhan	4	4	9.00
60.	13064 Toralanavapara	13	19	29.26
61.	13065 Akhara	19	31	39.14
62.	13067 Dullapur	23	45	54.58
63.	13070 Koylorikanpa	51	101	122.21
64.	13071 Kanpa Ruse	69	176	131.34
65.	13073 Nanapuri	56	113	141.40
66.	13078 Devpura	21	45	61.52
67.	13079 Kanchheta	77	242	204.35
68.	13080 Tenduadih	2	3	3.64
69.	13081 Saihamalgi	18	45	60.05
70.	13082 Rehutakhurd	16	27	34.04
71.	13083 Charkhurakala	83	143	184.58
72.	13087 Kanpadah	24	50	59.32
73.	13088 Sagonadih	1	1	0.50
74.	13089 Domsara	7	9	6.70
75.	13090 Gunjheta	6	13	10.00
76.	13091 Kolegaon	51	76	128.33
77.	13092 Ningapur	40	79	126.23
78.	13093 Dalpurwa	68	122	154.47
79.	13094 Ramtala	38	60	50.25
80.	13095 Bailmuda	14	25	33.60
81.	13097 Sodha	99	205	212.18
82.	13098 Pendrikhurd	7	15	15.50
83.	13099 Khaltukari	21	36	38.25
84.	13100 Somnapur	11	18	21.68
85.	13101 Kishungarh	26	52	60.25
86.	13102 Sirmadabari	13	24	22.80
87.	13103 Charbhata Khurd	129	250	343.26
88.	13104 Bodhipara	3	3	1.20
89.	13107 Girdharikapa	11	11	19.09
90.	13110 Khunta	1	6	4.00
91.	13112 Hathmudi	40	70	130.49
92.	13114 Chhitapar	8	11	26.70
93.	13119 Narauli	11	16	16.10
94.	13120 Kodapuri	10	10	11.00
95.	13121 Khairjhiti	1	4	5.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96.	13122.Nawagaon	6	13	19.25
97.	13123 Karpikala	6	13	12.50
98.	13124 Domanpur	1	2	2.00
99.	13127 Surajpurakala	27	42	43.30
100.	13128 Ghorpendri	11	14	19.43
101.	13130 Dhutpur	1	3	2.00
102.	13132 Singarpur	2	6	8.00
103.	13133 Mainpura	10	18	20.04
104.	13135 Surajpurakhurd	21	31	31.35
105.	13136 Khamariya	8	15	25.00
106.	13147 Binori	7	12	16.00
107.	13150 Patuwa	12	21	37.00
108.	13151 Jaitpuri	3	6	12.50
109.	13153 Bharewapara	2	2	1.60
110.	13154 Kanwalpur	5	9	14.00
111.	13155 Bipatpur	1	2	4.00
112.	13156 Kodwakala	32	59	90.50
113.	13157 Amlimalgi	41	63	64.60
114.	13158 Semarkona	1	3	3.50
115.	13159 Mohamadwa	5	8	11.00
116.	13162 Kharhatta	19	34	40.50
117.	13163 Piparkhuti	7	16	30.33
118.	13164 Tilaibhata	7	15	23.40
119.	13165 Damapur	2	6	5.50
120.	13166 Majnukanpa	14	30	39.70
121.	13167 Padkikala	7	14	17.60
122.	13168 Jhiriyakala	14	21	19.50
123.	13169 Jhiriyakhurd	15	28	26.50
124.	13171 Nawagaon Musau	4	5	4.09
125.	13174 Gobarra	10	21	18.90
126.	13177 Dongria Khurd	9	11	17.40
127.	13178 Rehuntakala	5	7	4.90
128.	13179 Sandi	36	130	113.69
129.	13181 Tatakasa	5	6	9.00
130.	13182 Dullipar	10	24	32.80
131.	13187 Odadabari	9	14	15.00
132.	13188 Nawapara Pendrikala	12	26	36.99
133.	13192 Putkikhurd	13	16	20.96
134.	13193 Dolakanpa	1	1	2.00
135.	13195 Bhagatpurkhairj	1	2	3.00
136.	13197 Buchipara	5	5	3.50
137.	13207 Nawagaon Tiket	5	7	8.00
138.	13208 Khaira	1	6	4.00
139.	13209 Amadah	4	10	12.13
	Block Total	**4776**	**11013**	**11839.38**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Block Name : S. Lohara				
1.	14001 Virendranagar	2	6	68.00
2.	14002 Tatikasha	1	3	13.00
3.	14004 Domatola	2	2	5.00
4.	14014 Ranveerpur	1	3	25.00
5.	14016 Chilamkhodra	4	5	5.95
6.	14020 Hathlewa	1	3	5.00
7.	14025 Chandeni	1	1	2.00
8.	14036 Khapari	5	5	12.50
9.	14038 Mohtra	4	4	5.25
10.	14045 Gorakhpur	1	1	2.00
11.	14046 Samria	19	25	21.27
12.	14070 Gendpur	1	2	3.00
13.	14074 Rajpur	1	1	0.50
14.	14075 Nawagaon-Gulalpur	1	2	4.00
15.	14076 Budhwara	3	4	10.50
16.	14077 Baroda-Kala	8	11	18.50
17.	14078 Achanakpur	2	2	2.25
18.	14079 Newaspur	6	7	9.25
19.	14080 Singhori	4	5	6.00
	Block Total	**67**	**92**	**218.97**
	Circle Total	**14309**	**30786**	**35418.35**
	Grand Total	**14309**	**30786**	**35418.35**

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th January 2013

No. 5/Confdl./2013/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Shweta Shrivastava, Civil Judge-II, Kawardha, to permit her to write "Smt." in place of "Ku." before her name, she is, hereby, permitted to write "Smt." in place of "Ku." before her name. It is directed that nacessary changes be affected in all her records.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.